क्लियरिंग से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचना

सम्माननीय ग्राहक,

Continuous CTS Clearing & On Realization Settlement System के नवीन परिवर्तनों के बारे में जानकारी

(भुगतान विजन–2025)

संभावित गो–लाइव तिथि 01 जनवरी 2025 है

आरबीआई के पेमेन्ट्स विजन–2025 और 08 अगस्त 2024 को गवर्नर द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, चैक के समाशोधन एवं भुगतान (Clearing & Settlement) के लिये के लिए प्रजेन्टेशन और रिटर्न सेशन की बैच प्रोसेसिंग के मौजूदा दृष्टिकोण को **'निरन्तर समाशोधन और ऑन–रियलाईजेशन–सेटलमेंन्ट मॉड़ल'** में माइग्रेट किया जाएगा, जिसमें क्लियरिंग की प्रकिया पूरे दिन 06 चक्रों में निम्न प्रकार निरन्तर जारी रहेगीः–

(1).प्रत्येक चैक बैंक में प्रजेंन्ट होने के बाद से 03 घंटों में क्लियर होगा, अर्थात धारक बैंक को 03 घंटों में उसको या तो पास करके या रिटर्न करके **CCH (सेंन्ट्रल क्लियरिंग हाऊस–आरबीआई)** को भेजना होगा; जहाँ से वह प्रस्तुतकर्ता बैंक को शीघ्र भेज दिया जायेगा।

अतः ग्रहकगण ध्यान दें कि किसी भी प्रकार के चैक को जारी करने से पूर्व उस संदर्भित खाते में निर्धारित बैंलेंन्स रखना सुनिश्चित करें।

(2).क्लियरिंग सशन 6 चक्रों में सुबह 10.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक निम्न प्रकार शुरू रहेगाः–

1. सुबह 10.00 बजे से 10.45 तक प्रजेंन्ट किये गये चैक–दोपहर 2.00 बजे के बाद क्लियर होंगे।
2. सुबह 11.00 बजे से 11.45 तक प्रजेंन्ट किये गये चैक–दोपहर 3.00 बजे के बाद क्लियर होंगे।
3. दोपहर 12.00 बजे से 12.45 तक प्रजेंन्ट किये गये चैक–दोपहर 4.00 बजे के बाद क्लियर होंगे।
4. दोपहर 01.00 बजे से 01.45 तक प्रजेंन्ट किये गये चैक–शाम 5.00 बजे के बाद क्लियर होंगे।
5. दोपहर 02.00 बजे से 02.45 तक प्रजेंन्ट किये गये चैक–शाम 6.00 बजे के बाद क्लियर होंगे।
6. दोपहर 03.00 बजे से 03.45 तक प्रजेंन्ट किये गये चैक–शाम 7.00 बजे के बाद क्लियर होंगे।

आशा है इस प्रणाली के द्वारा हम तेजी से और अधिक पारदर्शी तरीके से लेनदेन प्रक्रियाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे एवं लगातार क्लियरिंग प्रणाली आपके सभी चैक और अन्य वित्तीय लेन-देन को तात्कालिक रूप से निपटाएगी। ग्राहकों को धनराशि के क्लियर होने में अधिकतम 03 से 3.30 घंटों का समय लगेगा जिससे आपके वित्तीय लेनदेन अधिक त्वरित होंगे।

ग्राहक सहायता:- यदि आपको इस नई प्रणाली के संबंध में कोई प्रश्न है तो कृपया हमारी ग्राहक सेवा टीम से संपर्क करें।

हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि यह नई प्रणाली आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

हेल्पलाईन नंम्बरः–9079806434

महत्वपूर्ण नोटः–दिनांक 01.01.2025 से अपने क्लियरिंग के चैक क्लियरिंग बॉक्स में न ड़ालकर सीधे काउन्टर पर दें; अन्यथा वे चैक यदि क्लियरिंग में प्रस्तुत नहीं होते हैं तो इसकी समस्त जिम्मेदारी ग्रहकां की रहेगी।